न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 174/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/443

अनवान

1. श्री किशन पुत्र रता जी जाति डांगी, उम्र 45 वर्ष, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. श्री रामलाल पिता मोड़ा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री गोवर्धन पिता उदा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री नारू पिता उदा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री पुरा पिता कना जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री देवीलाल पिता कना जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री मांगा पिता मोड़ा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सुशिल कुमार ओस्तवाल, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक : 17.06.2025

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गणेशपुरा, पटवार हल्का धोलीमगरी, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 175 रकबा 1.7401 हैक्टेयर भूमि मुझ वादी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम पर हिस्सानुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। ग्राम गणेशपुरा में कई वर्षो पुराना थोरियां माताजी का मन्दिर बना हुआ है तथा वाद वर्णित कृषि [illegible] मुझ वादी सहीत सहखातेदार एवं हमारे पूर्वज प्रारम्भ से ही थोरियां माताजी के भक्त है और इनके प्रति हमारे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

पूर्वजों से ही हमारी अटूट श्रद्धा एवं आस्था है। थोरिया माताजी के प्रति हमारे पूर्वजों एवं हमारी अटूट श्रद्धा एवं आस्था होने से वाद वर्णित कृषि भूमि में अंकित हम सभी सहखातेदारों एवं हमारे पूर्वजों ने कई सालों पहले ही अपनी उक्त वर्णित कुलिया कृषि भूमियों को थोरिया माताजी के उपयोग हेतु सप्रेम सादर भेंट कर समर्पित कर दी और तब से ही उक्त वर्णित कृषि भूमि थोरिया माताजी के कार्यों के लिये ही उपयोग होती रही है और उक्त कृषि भूमि माताजी के भेंट कर देने के बाद से मुझ वादी एवं अन्य सहखातेदारों का भी इस भूमि पर कोई हक हकूक नही रहा हैं।

2. यह कि उक्त वर्णित कृषि भूमियां हम सहखातेदारों द्वारा थोरियां माताजी के भेंट कर देने से इसमें हमारा या अन्य किसी का व्यक्तिगत रूप से कोई हक अधिकार नही रहा है, न ही प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार रहा है तथा उक्त जमीन वर्षों से खाली एवं खुली पड़ी होकर माताजी के कार्यों के लिये उपयोग होती रही है और वर्तमान में भी आवश्यकता अनुसार उपयोग हो रही है। परन्तु प्रतिवादीगण जो सभी एक ही परिवार के सदस्य होकर आदतन झगडालु प्रवृति है जिन्होने अपना नाजायज गिरोह बना रखा है जो हमसलाह एक राय होकर धनबल एवं भुजबल के आधार पर नाजायज तरीके से ताकत के बल पर इस कृषि भूमि को हड़पने की गरज से लम्बे समय से कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा कब्जा करने के उद्देश्य से दिनांक 09.10.2022 को प्रतिवादीगण ने अपने परिवार के सदस्यों के साथ हमसलाह एक राय होकर उक्त वर्णित कृषि भूमि पर बाड/कोट कराने की नियत अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर उक्त वर्णित कृषि भूमि पर अवैध रूप से लकडीया एवं पत्थर डलवाने पर उतारू हो गये और जबरन उक्त जमीन पर थौहर की बाड़ करने की कोशिश करने लग गये। प्रतिवादीगण के उक्त कृत्य की जानकारी होने पर मैने व अन्य सहखातेदारों ने मौके पर जाकर प्रतिवादीगण को उक्त जमीन पर अतिक्रमण करने से मना किया तो प्रतिवादीगण मुझ वादी एवं अन्य व्यक्तियों के साथ माँ–बहिन की फौस फौस गाली गलोच कर लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये और समझाईश करने पर भी नही माने बल्कि ऐलानिया धमकी दी कि वो इस जमीन पर कब्जा करके ही दम लेगें। जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है इसलिये मैं थोरिया माताजी के अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूँ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sarvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि मुझ वादी का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। क्योंकि उक्त वर्णित कृषि भूमि मुझ वादी एवं अन्य सहखातेदारों के नाम पर सहखातेदारी हक से दर्ज है। स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रतिवादीगण अनाधिकृत रूप से इस जमीन पर कब्जा कर लेगें जिससे थोरिया माताजी के प्रति श्रद्धा व आस्था रखने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भारी क्षति होगी जिसका मूल्याकंन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी हमारे पक्ष में है।

4. यह कि मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 09.10.2022 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण ने हमसलाह एक राय होकर उक्त जमीन में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर थौहर की बाड़ करवाने पर उतारू हुए और मुझ वादी व अन्य लोगों द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने से मना करने पर प्रतिवादीगण ऐलानिया धमकीया देते हुए मरने मारने पर आमादा हुए, तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

5. अंत में निवेदन किया की मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जायें कि मुझ वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि पर अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे, कब्जा नही करे, कांटो/थौहर की बाड़ नही करे, कच्चा / पक्का कोट व बाउण्ड्रीवाल का निर्माण नहीं करे, उक्त कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार का कच्चा व पक्का निर्माण कार्य नही करे, थोरिया माताजी के अधिकारों के विपरित कोई कार्य नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। यदि दौरान दावा प्रतिवादीगण धनबल एवं भुजबल के जरिए जबरन वाद वर्णित कृषि भूमि पर कब्जा कर लेवे अथवा पाया जावे तो प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर पूर्ववत स्थिति रखाये जाने की डिक्री मुझ वादी के पक्ष में जारी फरमाई जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं स्वयं प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। साक्ष्यवादी प्रारम्भ की [illegible] पी.डब्ल्यू 1 स्वयं वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

का शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज ग्राम गणेशपुरा की नकल जमाबंदी संवत 2075–78 के खाता संख्या 21 प्रर्दश 1 एवं नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 करवाए गए।

7. विद्वान अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादी एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी का उक्त भूमि में कोई हक हिस्सा निहित नही है। परन्तु फिर भी प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहते है। जबकि वादी एवं अन्य सहखातेदार द्वारा थोरिया माताजी के कार्यो के लिए सप्रेम भेंट कर रखी है। वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा गणेशपुरा पटवार क्षेत्र धोलीमगरी तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 21 पर दर्ज आराजी नम्बर 175 रकबा 1.7401 हैक्टेयर भूमि के संबंध में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा चाही गई है। वादी वादग्रस्त भूमि का सह खातेदार है। जमाबंदी के अवलोकन से प्रतीत होता हैं कि उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा निहित नहीं है। न्यायालय का विनम्रतापूर्वक अभिमत है कि नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 के अनुसार वादी रेकार्डेड सहखातेदार हैं। रेकार्डेड सहखातेदार के कब्जे काश्त में प्रतिवादीगण को दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं। क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में प्रतीत होता हैं। वादी की सहखातेदारी की वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादीगण जबरन कब्जा लेते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त भूमि के संबंध में कोई जवाब/दस्तावेज पेश नही किया, अर्थात प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद के संबंध में किसी प्रकार का कोई खण्डन नही किया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू वादी के पक्ष में साबित होते हैं क्योंकि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से जाहीर होता है कि वादी के वाद को स्वीकार किया जाना जो उन्हें कोई आपत्ति नही है। यदि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति होती तो वे अवश्य ही वादी के वाद का खण्डन करते। अतः उपरोक्त विवेचन एवं प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा गणेशपुरा पटवार क्षेत्र धोलीमगरी तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075—78 के खाता सं. 21 पर दर्ज आराजी नम्बर 175 रकबा 1.7401 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण कब्जा नही करे तथा निर्माण कार्य नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री किशन पुत्र रता जी जाति डांगी, उम्र 45 वर्ष, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) ....वादी

बनाम्

1. श्री रामलाल पिता मोड़ा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री गोवर्धन पिता उदा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री नारू पिता उदा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री पुरा पिता कना जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री देवीलाल पिता कना जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. श्री मांगा पिता मोड़ा जी जाति गायरी, उम्र वयस्क, निवासी गणेशपुरा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 174/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/443

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा गणेशपुरा पटवार क्षेत्र धोलीमगरी तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 21 पर दर्ज आराजी नम्बर 175 रकबा 1.7401 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादीगण कब्जा नही करे तथा निर्माण कार्य नही करें। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.06.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.10.24 16:54:03 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली